

13/8/2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप  
प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
आदेश 23 नियम 1 CPC तपठिन द्वारा  
151 CPC का पेश कर प्रार्थी वकील  
द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र  
द्वारा 212 RT Act को जरिये विज्ञाप  
खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अतः प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 RT Act को  
जरिये विज्ञाप खारिज किया जाता है  
तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.6.2024  
को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार  
होकर दाखिल दफ्तर है व नम्बर से  
क्रम है।

सह

सहायक कलक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा